



महिला सशक्तिकरण के आधार

(शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता, स्वावलंबन एवं स्वास्थ्य का अधिकार)

डॉ. उमेश कुमार शाक्य

असि० प्रोफेसर-अर्थशास्त्र, माता भगवती देवी राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय आँवलाखेड़ा, आगरा (उत्तर प्रदेश)



प्रस्तावना :

आजादी की पूर्व संध्या 14 अगस्त 1947 को पहली संविधान सभा को संबोधित करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "..... मध्यरात्रि में जब सारी दुनियाँ सो रही होगी, भारत नया जीवन और स्वतंत्रता लेकर जागेगा। इतिहास में बिरले ही क्षण आता है, जिस क्षण के आने पर हम पुरातन से निकलकर नवीन में उदित होते हैं जब एक युग का अंत होता है, और जब एक देश की लंबे समय से प्रताड़ित आत्मा उचित पाती है... हममें से किसी को भी तक आराम नहीं करना है... जब तक हम भारत के सभी नागरिकों को वह नहीं बना देते जो नियति ने उनके लिए चाहा है।"

आज जब देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तब पंडित नेहरू के उक्त कथन (यद्यपि पंडित नेहरू का उक्त कथन समाज में व्याप्त लिंग विभेद के विशेष के सन्दर्भ में सीमित नहीं था) को यदि देश की आधी (लगभग) आबादी जो कि महिलाएं हैं, के संदर्भ में देखते हैं तो यह प्रश्न भी स्वभाविक ही उठ खड़ा होता है कि आजाद मुक्त भारत में भी क्या वास्तव में उन्हें यह मुकाम और आजादी हासिल है कि वे अपने भ्रातृ का फैसला स्वयं कर सकें वे यह निर्णय ले सकें कि उन्हें कहीं तक व कैसी शिक्षा हासिल करनी है, या उन्हें अपनी पसंद का कौन सा कैरियर चुनना है? अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं, अपनी इच्छा अनुसार खुली हवा में सांस लेना है और क्या उन्हें यह अधिकार हासिल है कि वे स्वयं ये फैसला कर सकें कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित? इतिहास और वर्तमान इस बात का गवाह है कि यदि महिलाओं को भी अवसर मिले तो वे भी किसी से कम नहीं हैं, और वे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की तरह धरती तो क्या अंतरिक्ष की भी दूरी नाप कर चाँद पर भी अपना परचम लहराने में सक्षम भी हैं और समर्थ भी। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, जयललिता जैसी न जाने कितनी महिलाओं के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने अनेकों बार यह साबित कर दिखाया है कि वे सिर्फ घर ही अच्छी तरह संभालना नहीं जानती हैं, बल्कि देश और प्रदेश की बागडोर/राजनीति को संभालने की क्षमता भी उनमें पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। किरण मजूमदार शॉ इंदिरा नूई, मल्लिका श्रीनिवासन, अरुंधति भट्टाचार्य, कल्पना मोरपारिया, रंजना कुमार, नैनालाल किदवई, नीलम धवन, प्रिया पाल जैसी महिलाओं ने भी यह प्रमाणित किया है कि वे न सिर्फ घर की छोटी-छोटी पूंजी को ही संभालना जानती हैं बल्कि बड़े-बड़े संस्थाओं और बैंकों की चाबी संभालना भी उन्हें बखूबी आता है। हर क्षेत्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें महिलाओं ने अपनी दमदार परिस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उन सभी का यहाँ उल्लेख किया जाना संभव नहीं है, मगर महिलाओं की विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन चन्द उदाहरणों के आधार पर महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ मान लेना सच्चाई पर पर्दा डाल देने जैसा है। ये चन्द उदाहरण सिर्फ तस्वीर का आधा सच बयान करते हैं। उस देश में जहाँ नारी सम्मान एवं महत्व के लिए "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" जैसा सूत्र वाक्य रचा गया हो वहाँ यदि आज भी देश के प्रधानमंत्री को भी "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियान चलाकर भ्रूण हत्या तथा नारी शिक्षा एवं सुरक्षा के प्रति लोगों को सचेत करना पड़ रहा हो, तो यह हमारे लिए बेहद शर्म और सोचने की बात है कि हम आज भी वह समाज नहीं बना पाए हैं जहाँ महिला एवं पुरुष दोनों को बराबरी का अधिकार हासिल हो। हमारा समाज आज भी लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार क्यों है? जहाँ एक तरफ आज भी इन्हे पर्दे में रहने को मजबूर किया जाता है, शिक्षा से अभी भी ये कोसों दूर हैं, जागरूकता का पूर्णतया अभाव है, जिन्हें कहीं अपने ही आगे बढ़ने से रोकते हैं तो कहीं समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था इनके कदम थामने की कोशिश करती है। वहीं ग्रामीण, अशिक्षित एवं निर्धन परिवार की महिलाओं की स्थिति तो और भी बुरी है जहाँ आज भी इन्हें अनेक वर्जनाओं और कुप्रथाओं से जूझना पड़ रहा है तथा महिलाओं का अस्तित्व मात्र "देह" तक ही सीमित है। बड़ी-बड़ी योजनाओं, तुभावने नारों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में होने वाले गहन चिंतन और

विचार विमर्श के पश्चात् भी महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त और संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है?, इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है? और इस दृष्टि से निम्न पाँच कदम (जिसे हम पाँच “स” योजना अथवा Five ‘S’ Plan भी कह सकते हैं) उठाकर ही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है—

1. सुरक्षा -

महिला सुरक्षा का प्रश्न सिर्फ उसकी अस्मिता तक सीमित नहीं है बल्कि उसके अस्तित्व के संपूर्ण विकास से भी गहरे तक जुड़ा हुआ है, मगर दुर्भाग्य से जब देश और प्रदेश की राजधानी जैसे महानगरों में भी, जहाँ देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है और अधिक खर्च किया जाता है वहाँ भी महिला उत्पीड़न हिंसा एवं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं आए दिन मीडिया में सुर्खियां बनती हैं तब ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में महिला सुरक्षा की बात करना भी बेमानी सा लगता है। सुरक्षा के अभाव में महिलाओं की दुनियाँ चारदीवारी तक सिमट कर रह जाती है, जिससे न सिर्फ शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं बल्कि उनकी संपूर्ण प्रगति का मार्गभी अवरुद्ध हो कर रह जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा 30 नवंबर 2017 को जारी की गयी रिपोर्ट "भारत में अपराध 2016" के अनुसार वर्ष 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3 लाख 38 हजार 954 मामले दर्ज किए गए जबकि वर्ष 2007 में इस प्रकार के 1 लाख 85 हजार 312 मामले दर्ज किए गए थे। इस प्रकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 10 वर्ष की अवधि में 83% की वृद्धि दर्ज की गयी। इसी प्रकार महिलाओं के साथ हुए उद्देश्यपूर्वक अपराध (शीलभंग करने के उद्देश्य से किए गए अपराध) के वर्ष 2016 में देशभर में 84746 मामले दर्ज किए गए।

इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बलात्कार के देशभर में 38947 मामले दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2015 के आंकड़ों की तुलना में 12.4% अधिक हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार के वर्ष 2012 में जहाँ देशभर में 8541 मामले पंजीकृत किए गए थे, वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बच्चियों के साथ बलात्कार के 19765 मामले पंजीकृत किए गए, जो कि वर्ष 2012 के आँकड़ों की तुलना में दुगने से भी अधिक हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अर्थात प्रति एक लाख महिला आबादी पर होने वाले अपराध की दर 55.5 रही है, जो कि वर्ष 2012 में 41.7 थी।

संभव है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के ये आँकड़े वृद्धिको इसलिए दर्शा रहे हों कि धीरे-धीरे ही सही किन्तु जागरूकता में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा मीडिया की सक्रियता एवं दबाव के कारण पंजीकृत आँकड़ों में भी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक तो रुके नहीं हैं और दूसरे अपराध के अधिकांश मामले लोक-लाज, जागरूकता के अभाव एवं पीड़ित को पर्याप्त संरक्षण न मिल पाने की आशंका से पंजीकृत ही नहीं हो पाते हैं, इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। सच्चाई यही है कि महिलाएं आज भी न तो घर के बाहर सुरक्षित हैं न तो घरों के भीतर और ना ही गर्भ के अंदर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2017 की यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016 में बलात्कार के 94.6% पंजीकृत मामलों में बतौर आरोपी पीड़िताओं के परिचित (दादा, पिता, भाई और बेटे तक) शामिल थे।

महिला सुरक्षा का यह गम्भीर प्रश्न सिर्फ सख्त कानून बनाकर हल किया जाना संभव नहीं है अतः महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए जागरूक एवं सक्षम करने के साथ-साथ, कानून का सख्त एवं त्वरित क्रियान्वयन, शीघ्र तथा उचित न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही महिलाओं को सुरक्षा तथा अपराधियों में भय प्रदान कर सकता है एवं संपूर्ण समाज को महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर चुप्पी तोड़कर विरोध में अपनी आवाज बुलंद करनी होगी तभी महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सुरक्षा को हर हाल में प्राथमिकता प्रदान करनी होगी, क्योंकि जब बचेंगी बेटियाँ तभी पढ़ेंगी बेटियाँ और आगे बढ़ेंगी बेटियाँ।

2. शिक्षा -

शिक्षा संपूर्ण अज्ञानता रुपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग खोलती है मगर दुर्भाग्य से एक तो शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति वैसे ही ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, दूसरे शिक्षा के मामले में भी महिला एवं पुरुष में भेदभाव किया जाता है। इसलिए महिला उत्थान के लिए उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के समुचित प्रबंध किए जाने की गंभीर आवश्यकता है। यद्यपि इस स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है तथा वर्ष 1950-51 में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन संख्या 40000 से बढ़कर वर्ष 2015-2016 में 13466000 हो गयी है जबकि उच्च शिक्षा में प्रति 100 पुरुषों पर महिला नामांकन की दर जो कि वर्ष 1950-51 में 14 थी वह 2015-2016 में बढ़कर 90 हो गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 2015 में किए गए अध्ययन के अनुसार जहाँ एक तरफ शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर वर्ष 2007 में 39% से बढ़कर 2014 में 46% हो गई है वहीं श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत घटा है और यह वर्ष 1999 के 34% से घटकर वर्ष 2014 में 27% रह गया है। राष्ट्रीय सैल

सर्वे (NSS) द्वारा जनवरी 2014 से जून 2014 के मध्य कराए गए सर्वे के अनुसार पुरुष साक्षरता 83% है वहीं महिला साक्षरता मात्र 67% है। स्नातक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में 4.7 प्रतिशत वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्नातक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2.2 है। शहरी क्षेत्र में 17 % पुरुषों ने तथा 13 % प्रतिशत महिलाओं ने स्नातक अथवा उससे से अधिक शिक्षा प्राप्त की है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या सुदूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ प्राइमरी शिक्षा के लिए भले ही दूर न जाना पड़ता हो लेकिन सेकेंडरी एवं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अभी भी सुदूर जाना पड़ता है, जिससे लड़कियों की शिक्षा को वैसे ही कम महत्व देने वाला हमारा समाज, लड़कियों की सुरक्षा, दकियानूसी सोच एवं आर्थिक भार समझने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा से विमुख कर देता है, अगर उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के मौके मिल भी जाते हैं तो भी उनकी पहुँच केवल परंपरागत पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रह जाती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों तक उनकी पहुँच नितांत ही कम है। महिला उत्थान के लिए सिर्फ महिला साक्षरता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि उन्हें न सिर्फ साक्षर बनाया जाए बल्कि उद्देश्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जाए क्योंकि उद्देश्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ही महिला सशक्तिकरण की राह आसान बनाई जा सकती है।

3. स्वास्थ्य -

"सबसे बड़ा धन निरोगी काया" यह कहावत मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की सर्वोपरि महत्ता को स्पष्ट करती है परंतु भारत जैसे देश में जहाँ पर निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो आया है लेकिन अभी भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों एवं आर्थिक पिछड़ेपन तथा गरीबी से त्रस्त आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आज भी आसान नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार हुआ भी है, वह भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के मुकाबले निजी स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा तेजी से हुआ है लेकिन निजी स्वास्थ्य सेवाएँ जो कि लाभ की दृष्टि से संचालित होती हैं, अत्यंत महँगी होने के कारण इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुँच एक तो वैसे ही दुश्कर होती है दूसरे अगर बात महिला स्वास्थ्य की हो तो भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ अशिक्षा, निर्धनता एवं बेरोजगारी विकसित देशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक खामियाजा महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। आर्थिक स्थिति खराब होने पर सर्वाधिक समझौते महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर ही करने पड़ते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तत्पर स्थिति, निर्धनता एवं आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित होने का नतीजा महिला स्वास्थ्य की चिंताजनक स्थिति के रूप में दिखाई देता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति एक हजार आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए जबकि हमारे देश में सात हजार की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 48% महिलाएँ कुपोषित हैं। वर्ल्ड बैंक की एक्सपर्ट मीरा चटर्जी की एक रिपोर्ट "स्पारिंग लाइव्स बताती है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 - 1 वर्ष की 51.4% महिलाएँ खून की कमी का शिकार हैं 'जबकि इसी आयु वर्ग की 41% महिलाएँ पोषण की कमी से कम वजन की समस्या से त्रस्त हैं। महिलाओं के कम वजन की समस्या का कारण हमारे समाज का पितृ सत्तात्मक होना या पुरुष प्रधान होना तथा घर परिवार में स्त्री-पुरुष के बीच होने वाले खानपान में किए जाने वाला विभेद एवम उचित देखभाल ना होना है। महिलाओं द्वारा घर परिवार की जिम्मेदारियों को अपने स्वास्थ्य की कीमत पर भी न सिर्फ स्वयं महिलाएँ लापरवाह रहती हैं बल्कि परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा भी महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता प्रदान की नहीं जाती है, दूसरे जटिल शारीरिक संरचना एवं प्रजनन क्षमताओं के महेनजर न सिर्फ उन्हें अधिक पोषण एवं देखभाल की आवश्यकता होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक सामना करना पड़ता है। ऐसे में उचित स्वास्थ्य देखभाल अभाव एवं पोषण की कमी का महिला स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना सुनिश्चित होता है।

खराब स्वास्थ्य का उनकी कार्यक्षमता एवं प्रगति पर गहरा दुष्प्रभाव/असर पड़ता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य बिना महिला स्वास्थ्य पर ध्यान दिए पूरा नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि महिला स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से अभी लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है ताकि उचित स्वास्थ्य देखभाल के तथ स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव एवं समय से इलाज न मिल पाने के कारण रास्ते में ही महिलाओं के दम तोड़ देने जैसी घटनाएँ अखबारों एवं मीडिया की सुर्खियां न बन सकें और महिलाएँ न सिर्फ अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकें बल्कि राष्ट्र की प्रगति में भी संपूर्ण योगदान दे सकें।

4. स्वतंत्रता -

जीवन के प्रारंभ से ही बात चाहे घर से बाहर कदम रखने की हो या खेल चुनने की हो या पहनावे की हो, शिक्षा हासिल करने की हो या कैरियर चुनने की हो, शादी करने की हो या बच्चों को जन्म देने की हो...आदि। यह सारे फैसले ऐसे हैं जो महिलाओं के नितांत निजी जीवन से जुड़े हुए होते हैं लेकिन फिर भी इस प्रकार के फैसले लेने की स्वतंत्रता प्रायः महिलाओं को

नहीं होती है क्योंकि सारे फैसले घर-परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में होते हैं और यह प्रवृत्ति उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। कई बार महिलाओं को स्वयं अपनी कमाई को खर्च करने की स्वतंत्रता भी नहीं होती है, खासतौर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को जो कि प्रायः अनपढ़ अथवा कम शिक्षित होती हैं। महिलाओं को इस प्रकार के उपर्युक्त फैसले लेने की स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन की सही यह चुन सकें और अपने सपनों को पंख देकर मुक्त आकाश की बुलंदी पर विचरण करने का साहस बटोर सकें, ताकि घर-परिवार और समाज के दबाव में उन्हें अपने सपनों का गला न घोटना पड़े और वे अपनी मनचाही मंजिल पाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें। इसलिए स्पष्ट है कि महिलाओं को सहमति/असहमति एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अधिकार दिए बिना उनकी प्रगति संभव नहीं है।

5. स्वावलंबन -

महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में उनका स्वावलंबी होना भी अपरिहार्य है क्योंकि आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर महिलाओं को जहाँ न सिर्फ रोजमर्रा के छोटे-छोटे फैसले लेने का भी अधिकार हासिल नहीं होता है बल्कि अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों के लेने में भी उनकी सहमति/स्वतंत्रता मायने नहीं रखती है, महिला स्वतंत्रता के सम्बंध में यह प्रवृत्ति उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। दूसरों पर आश्रित होने के कारण वह अपने ऊपर होने वाले समस्त दुर्व्यवहार एवं मान-अपमान, उत्पीड़न, हिंसा, अत्याचार एवं जीवन की अन्य अनेक दुश्चारियों को अपनी नियति मानकर समझौते करने की आदी हो जाती है और उसमें बेहतर एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने की भ्रूय समाप्त होने लगती है तथा उसके सफल, सुखद एवं गौरवपूर्ण जीवन जीने के एहसास का उत्साह मरने लगता है। महिलाओं का स्वावलंबी होना न सिर्फ उनको सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है बल्कि यदि महिलाओं को भी पुरुषों की भांति रोजगार हासिल होने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था में भी आश्चर्यजनक उछाल आ सकता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड का मानना है कि भारत में पुरुषों के बराबर महिला कर्मचारी हो जाएं तो जीडीपी के स्तर में 27 फीसदी बढ़ोतरी संभव हो सकती है, परंतु दुर्भाग्य से अक्सर यह देखा जाता है कि एक तो महिलाओं के रोजगार हासिल करने में वैसे ही अनेक प्रकार की रुकावटें/बाधाएँ आती हैं दूसरे यदि वे अपनी सक्षमता, लगन एवं दृढ़निश्चय के बल पर रोजगार हासिल करने में सफल हो भी जाती हैं तो भी अक्सर पारिवारिक देखभाल, बच्चों की परवरिश, पारिवारिक दबाव एवं सामाजिक परंपराओं तथा नियम कायदों के चलते उन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है यद्यपि इस स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगा है परंतु फिर भी यह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा दिसंबर 2018 में जारी की गयी रिपोर्ट (जिसमें स्त्री पुरुष के बीच चार क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण में मौजूद असमानताओं पर चर्चा की गयी है) बताती है कि महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर समान व्यवहार एवं वेतन की लंबे समय से की जाती रही मांग के बावजूद स्त्री पुरुष के बीच की समानता के इस लक्ष्य को हासिल करने में सदियों लग सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान समय में किए जा रहे सुधारों की दर से दुनियाँ भर के सभी क्षेत्रों में मौजूद स्त्री पुरुष असमानता को अगले 108 सालों में भी दूर नहीं किया जा सकता है जबकि कार्यस्थल पर स्त्री पुरुष असमानता को समाप्त करने में इस रिपोर्ट में 202 वर्ष लगने की उम्मीद जताई गयी है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाए बिना उनकी स्थिति में सुधार संभव नहीं है। इसलिए महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में ठोस गंभीर एवं प्रभावी प्रयास किये जाने की नितांत आवश्यकता है।

यदि उपरोक्त 5 बातों पर ध्यान केंद्रित करके जरूरी कदम उठाए जाएं तो निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति में अप्रत्याशित सुधार लाया जा सकता है। साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति 'समर्पण', 'सम्मान', 'सहयोग' एवं 'समानता' की 'समझ' का विकास किया जाना भी नितांत आवश्यक है ताकि महिलाओं को 'सक्षम', 'समर्थ' एवं 'सशक्त' बनाया जा सके, लेकिन इस सब के बावजूद भी महिलाओं को यह भी समझ लेना होगा कि बिना स्वयं उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के उनका कल्याण संभव नहीं है इसलिए उन्हें भी अपनी भूमिका समझनी होगी एवं स्वयं की उन्नति के मार्ग ढूँढने ही होंगे और अपने हिससे का संघर्ष भी करना होगा तभी वे वह मुकाम हासिल कर पाएंगी, जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं।

"अत दीपो भवः"

संदर्भ सूची -

- वशिष्ठ, सरिता, महिला सशक्तिकरण, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2010
- सिंह, राजवीर, महिला एवं बाल विकास, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2013
- विप्लव, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2012
- जे सी अब्रवाल, भारत में नारी शिक्षा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009

- किरण वडेहरा, जॉर्ज कोरेथ, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण : उपलब्धि अभिप्रेरणा के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम, साने (Sage) पब्लिशिंग हॉउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2017
- “The Global Gender Gap Report 2018” Issued By World Economic Forum
- UN Women “Annual Report 2018-19”
- Sonali Das, Sonali Jain-Chandra, Kalpana Kochhar, and Naresh Kumar “Women Workers in India: Why So Few Among So Many?” (IMF Working Paper March 2015)
- Women and Men in India (A statistical compilation of Gender related Indicators in India)2018 Issued By Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India
- Website of National Crime Records Bureau : <http://ncrb.gov.in/>
- UGC Annual Report 2015-16
- दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा, 29 मार्च 2019, पेज-2



डॉ. उमेश कुमार शाक्य

असि० प्रोफेसर-अर्थशास्त्र, माता भगवती देवी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय आँवलखेड़ा,
आगरा (उत्तर प्रदेश)